स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर

एम वी भानुमति
रोहित देव झा

शासक संपन्न होगा तो राज्य का संचालन सुचारु रूप से करेगा, जन कल्याण की गतिविधियां चलाएगा तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही जनता भी संपन्न हो जाएगी। **-चाणक्य**

विमुद्रीकरण के बाद लगभग पूरी नकदी बैंकिंग प्रणाली में पहुंच गयी है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन के प्रवाह पर नजर रखने का मौका मिला है। नकद जमाओं की जांच से धोखाधड़ी वाली कई गतिविधियों का पता चला है, जैसे पिछली तिथि में बिक्री, बेनामी जमा, अज्ञात व्यक्तियों को (पैन के बगैर) आभूषण, सोना-चांदी, महंगी वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा की बिक्री, पैन का खुलासा नहीं करने के लिए बिल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, सहकारी बैंकों (जहां केवाईसी के सख्त नियम नहीं होते) में जमा करना, एक ही पैन के साथ विभिन्न खातों में जमा करना आदि

गत वर्ष भारत ने 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की 25वीं वर्षगांठ मनायी। हालांकि इन सुधारों ने आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ायी, लेकिन सभी वर्गों की वृद्धि नहीं हुई। सुधारों के लाभ मुख्य रूप से धनी वर्ग ने ही उठाए। परिणामस्वरूप, भारत संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर काफी नीचे बना हुआ है और गरीब तथा जरूरतमंदों की स्थिति अब भी पहले जैसी ही है। पिछले वर्ष (एचडीआई-16) 188 देशों में उसे 131वां स्थान मिला था।

किंतु, आर्थिक वृद्धि के हाशिये पर रह गए लोगों को लाभ दिलाने के लक्ष्य के साथ सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने के गंभीर प्रयास पिछले तीन वर्ष में किए गए हैं। *समावेश, पारदर्शिता एवं विकेंद्रीकरण* इस रणनीति के मुख्य आधार स्तंभ हैं। इन तीन स्तंभों के प्रभावी क्रियान्वयन से पहली बार उस धनी वर्ग, जिसके पास आकर वृद्धि रुक जाती थी, को दरकिनार कर वृद्धि के लाभ सीधे जनता तक पहुंचेंगे। इन तीनों स्तंभों में संभवत: *पारदर्शिता* सभी की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। निष्पक्ष रहकर देखें तो भ्रष्टाचार ही मुख्य अपराधी दिखेगा, जिसने अच्छी मंशा के साथ आरंभ किए गए प्रत्येक कार्यक्रम को असफल कर दिया।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष जोस उगाज के अनुसार भ्रष्टाचार अथवा घूसखोरी कोई छोटा अपराध नहीं है, यह थाली से भोजन छीन लेता है, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की राह में बाधा बनता है और अंत में जान भी ले सकता है। भ्रष्टाचार कालेधन को जन्म देता है और दोनों साथ मिलकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बरबाद कर देते हैं। सरकार के पास धन की आवक को रोकते हैं, कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की उसकी क्षमता को बाधित करते हैं तथा उस विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते हैं, जो आर्थिक विकास के लिए धन एवं प्रौद्योगिकी लाता है। अपनी युवा आबादी को रोजगार देने में जूझ रहे राष्ट्र में रोजगार के अवसर तैयार करता है।

कालेधन पर सीबीडीटी द्वारा 2012 में संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के अनुसार कालाधन ऐसी संपत्तियां अथवा संसाधन होते हैं, जिनकी सूचना सरकारी विभागों को न तो उनके सृजन के समय दी जाती है और न ही बाद में उनका खुलासा किया जाता है।

विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों में भ्रष्टाचार जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है और गरीबों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा रिश्वत में देना पड़ता है। भारत भी अपवाद नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2017 में कराए गए एक सर्वेक्षण में 69 प्रतिशत भारतीयों ने बताया कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, जो एशिया प्रशांत में सबसे बड़ा आंकड़ा है।

रोचक बात है कि सरकार कालाधन इकट्ठा करने वालों पर सीधा हमला बोल रही है और आपूर्ति की नयी प्रणालियां तैयार कर गरीबों को भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी से बचाने

एम वी भानुमति भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। संप्रति दिल्ली में प्रधान आयकर निदेशक (जांच) के पद पर कार्यरत हैं। वह आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। ईमेल: bhanumathi@incometax.gov.in
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रोहित देव झा दिल्ली में सहायक आयकर निदेशक (जांच) के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: rohit.d.jha@incometax.gov.in

सरकार ने पिछले तीन वर्ष में कई कदम उठाए हैं और कालेधन के खिलाफ लगभग जंग ही छेड़ दी है। इनमें कानूनी एवं प्रशासनिक कदमों के जरिये नीतिगत स्तर पर सुधार करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना, क्षमता निर्माण करना तथा आंकड़ों की मदद से खुफिया जानकारी तैयार करना शामिल है।

के कदम भी उसने उठाए हैं। उनमें से कुछ पहलों की चर्चा इस आलेख में की जा रही है।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर

भारत का कर-जीडीपी अनुपात केवल 16.6 प्रतिशत है और केवल 5.5 करोड़ लोग ही कर चुकाते हैं, जिनमें कंपनियां, व्यक्ति और अन्य कारोबारी प्रारूप शामिल हैं। वित्तवर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में 100 मतदाताओं पर केवल 7 करदाता हैं। कर चोरी इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि पिछले पांच वर्ष में 1.25 करोड़ से अधिक कारें बिकी हैं और केवल 2015 में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने विदेश यात्रा की, लेकिन केवल 1.72 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय दिखायी है।

कर चोरी के जरिये इकट्ठा किया गया कालाधन आर्थिक चुनौती तो है ही, सामाजिक बुराई भी है। इससे रिश्वतखोरी, चुनावी भ्रष्टाचार, संगठित अपराधों और फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है तथा देश के आर्थिक नियोजन एवं वित्तीय अखंडता को चोट पहुंचती है। कुल मिलाकर इससे आर्थिक विषमता बढ़ती है और राष्ट्र का सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो जाता है। सरकार ने पिछले तीन वर्ष में कई कदम उठाए हैं और कालेधन के खिलाफ लगभग जंग ही छेड़ दी है। इनमें कानूनी एवं प्रशासनिक कदमों के जरिये नीतिगत स्तर पर सुधार करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना, क्षमता निर्माण करना तथा आंकड़ों की मदद से खुफिया जानकारी तैयार करना शामिल है।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए कर प्रशासन

कालेधन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- कालेधन की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. एम. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन।
- विदेश में जमा कालेधन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कालाधन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) एवं करारोपण अधिनियम, 2015 बनाया गया, जिसमें 3 से 10 वर्ष के सश्रम कारावास समेत कई कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं। *कर चोरी को धन शोधन निरोधक अधिनियम* (पीएमएलए) के अंतर्गत गंभीर अपराध बना दिया गया।
- भारतीयों द्वारा अवैध रूप से विदेशी बैंकों में रखे गए 8,186 करोड़ रुपये तमाम बाधाओं के बाद भी कर के दायरे में लाए गए हैं।
- पनामा दस्तावेज लीक के मामलों की समन्वित एवं त्वरित जांच में मदद के लिए विविध एजेंसियों का समूह (एमएजी) गठित।
- अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए)/कर सूचना आदान-प्रदान संधि (टीआईइए) बहुपक्षीय संधियों आदि पर हस्ताक्षर।
- कालेधन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में मदद करने के लिए सूचना के स्वत: आदान-प्रदान हेतु बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण संधि में शामिल होना।
- विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत अमेरिका के साथ जानकारी साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर
- संधि के दुरुपयोग, कर चोरी तथा धन को विदेश से होकर वापस लाने पर रोक लगाने के लिए मॉरीशस, सिंगापुर और साइप्रस के साथ डीटीएए पर पुन: वार्ता
- पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) की सहायता से विदेशी निवेश तो आता है, लेकिन कालेधन पर एसआईटी ने इसे कालेधन को वापस देश में लाने का रास्ता बताया है। सेबी ने धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए पीएन के खुलासे की आवश्यकताएं बढ़ा दीं और उनके हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि उनके असली स्वामियों को पहचाना जा सके।
- *बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016* लागू किया गया, जो सरकार को ऐसी बेनामी संपत्तियां (कोई मुआवजा दिए बगैर) जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर हैं। अधिनियम में सात वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। राजस्व विभाग के अनुसार 245 से अधिक बेनामी लेनदेन पहले ही पहचाने जा चुके हैं और 124 मामलों में 55 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं।
- 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी (आयकर के 69434 मामले, सीमा शुल्क के 11405, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 13952 और सेवा कर के 42727 मामले) का पता लगाने के लिए 23064 (आयकर से संबंधित 17525, सीमा शुल्क से 2509, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 1913 और सेवा कर से संबंधित 1120) की पड़ताल की गई हैं।
- 2814 मामलों में मुकदमे शुरू हुए, जिनमें 3893 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 519 मामले दर्ज किए गए और 396 तलाशियां लीं, जिससे 79 मामलों में गिरफ्तारियां हुईं और 14,933 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं।
- 64275 व्यक्तियों ने आय घोषणा योजना (आईडीएस) के अंतर्गत 65,250 करोड़ रुपये का खुलासा किया, जिससे देश में कालाधन रखने वालों को बेदाग होने का अवसर मिला।

बजट 2017-18: रूपांतरित, ऊर्जित एवं स्वच्छ भारत

कालेधन के विरुद्ध युद्ध को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव किया:

- कारोबारों में 10,000 रुपये तक के नकद

उद्देश्य नकली मुद्रा का मुकाबला करना, अर्थव्यवस्था का अधिक डिजिटलीकरण करना, बचत का प्रवाह बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक जामा पहनाना भी था, जिनसे जीडीपी में वृद्धि की गति तेज होगी, कर अनुपालन बेहतर होगा और कर राजस्व भी बढ़ जाएगा।

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 98 प्रतिशत लेनदेन नकद में होते हैं और लेनदेन के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत हिस्सा नकद में आता है। विमुद्रीकरण से डिजिटल लेनदेन को कई गुना तेजी मिली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यह साथ में पारदर्शिता भी लाती है।

खर्च की सीमा की अनुमति

- चैरिटेबल ट्रस्ट किसी एक स्रोत से अधिकतम 2,000 रुपये तक का ही नकद चंदा ले सकते हैं।
- एक लेनदेन में नकद व्यय की सीमा 2 लाख रुपये तक सीमित करना और उल्लंघन होने पर उतनी ही राशि का जुर्माना वसूला जाना।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का दुरुपयोग कालाधन इकट्ठा करने के लिए किए जाने का संदेह होता है। इसलिए उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट केवल उन्हीं शेयरों को दी जाएगी जिनकी खरीद पर प्रतिभूति लेनदेन कर चुका दिया गया हो (और सार्वजनिक निर्गम जैसे अन्य वास्तविक मामले)। इससे फर्जी लेनदेन के जरिये कर चोरी पर लगाम लगेगी।
- आर्थिक अपराधियों समेत देश से भाग चुके अपराधियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त रखने के कानून का प्रस्ताव, जब तक वे स्वयं को कानून के हवाले नहीं कर देते।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। इससे कई और फर्जी पैन की समस्या हल हो जाएगी तथा बैंक खाता खोलने समेत विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए केवाईसी सत्यापन की व्यवस्था मजबूत होगी।

ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन

- सरकार का लक्ष्य कर आधार बढ़ाना है, लेकिन वह प्रत्याशित एवं स्थिर कराधान व्यवस्था भी तैयार करना चाहती है, जो निवेशकों के अनुकूल हो और वृद्धि को गति दे। कर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख कदम/नीतिगत परिवर्तन किए गए है।
- पूर्व प्रभावी तिथि से कराधान का कानून लागू करने का अपना संप्रभु अधिकार छोड़े बगैर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन कानूनों का प्रयोग बेहद सतर्कता एवं समझदारी के साथ करेगी।
- करदाताओं तथा आयकर विभाग के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करने एवं खर्च तथा समय बचाने के लिए 7 शहरों में ई-आकलन आरंभ किया गया है।
- जिन करदाताओं के रिटर्न को जांच के लिए चुना गया है, उनके आयकर रिटर्न में विसंगतियों को दूर करने के लिए 2015 में आरंभ की गयी ऑनलाइन प्रणाली 'ई-सहयोग' का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि विशेषकर छोटे करदाताओं का खर्च कम हो सके।
- व्यापार एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सीबीडीटी और सीबीईसी कर संबंधी कानूनों पर नियमित स्पष्टीकरण जारी करेंगे।
- निवासी करदाता भी निर्धारित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकते हैं। आयकर निपटारा आयोग का दायरा बढ़ा दिया गया ताकि अधिक करदाता इस अवसर का लाभ उठा सकें।
- प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी वाले *केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली* तथा *ई-निवारण* पोर्टल के जरिये शिकायतों का समयबद्ध निराकरण।
- चुनिंदा करदाताओं के लिए एक पृष्ठ का आयकर रिटर्न फॉर्म *सहज*।
- आयकर विभाग *प्रोजेक्ट इनसाइट* पर काम कर रहा है ताकि कर अनुपालन सुधारने एवं तेजी से जांच करने के लिए हस्तक्षेप के बगैर सूचना प्राप्त करने की प्रणाली मजबूत की जा सके।

विमुद्रीकरण

500 और 1,000 रुपये के बड़े नोटों के विमुद्रीकरण से पूरी व्यवस्था ही बदल गयी क्योंकि कर चोरी की लागत बढ़ गयी और भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट हुई। इसका उद्देश्य नकली मुद्रा का मुकाबला करना, अर्थव्यवस्था का अधिक डिजिटलीकरण करना, बचत का प्रवाह बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक जामा पहनाना भी था, जिनसे जीडीपी में वृद्धि की गति तेज होगी, कर अनुपालन बेहतर होगा और कर राजस्व भी बढ़ जाएगा।

विमुद्रीकरण के बाद लगभग पूरी नकदी बैंकिंग प्रणाली में पहुंच गयी है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन के प्रवाह पर नजर रखने का मौका मिला है। नकद जमाओं की जांच से धोखाधड़ी वाली कई गतिविधियों का पता चला है, जैसे पिछली तिथि में बिक्री, बेनामी जमा, अज्ञात व्यक्तियों को (पैन के बगैर) आभूषण, सोना-चांदी, महंगी वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा की बिक्री, पैन का खुलासा नहीं करने के लिए बिल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, सहकारी बैंकों (जहां केवाईसी के सख्त नियम नहीं होते) में जमा करना, एक ही पैन के साथ विभिन्न खातों में जमा करना आदि।

आंकड़ों से पता चला है कि विमुद्रीकरण के दौरान 2 लाख रुपये से 80 लाख रुपये तक की राशि में जमाओं के जरिये 1.09 करोड़ खातों में कुल 5.48 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए। 80 लाख रुपये से अधिक की जमा के रूप में 1.48 लाख खातों में कुल 4.89 लाख करोड़ रुपये दर्ज किए गए। *ऑपरेशन क्लीन मनी* के अंतर्गत आयकर विभाग ने पहले चरण में 18 लाख व्यक्तियों को ई-मेल तथा लिखित संदेश भेजे। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 12 लाख खातों

सरकार ने प्वॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों एवं एटीएम को बीसीडी, उत्पाद शुल्क/काउंटरवेलिंग शुल्क तथा एसएडी से छूट दे दी है। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अगले कदम के रूप में वह 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन हेतु आधार सत्यापन को अनिवार्य बना सकती है।

से जवाब आ भी गए हैं। इससे विभाग को वास्तविक मामलों को आगे की जांच से बाहर करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण के बाद चलाए गए 1,100 तलाशी एवं जांच अभियानों में कुल 600 करोड़ की नकदी एवं कीमती वस्तुएं जब्त की हैं।

अपना दामन साफ करने का अवसर देते हुए सरकार ने *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* की घोषणा की, जिसके अंतर्गत (31 मार्च, 2017 तक) नकद जमा का खुलासा करने वाले घोषित राशि का 50 प्रतिशत बतौर कर दे सकते थे और 25 प्रतिशत रकम ब्याज रहित *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना* में चार वर्ष के लिए जमा कर सकते थे। इस योजना के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। संख्या चाहे जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता को अनजाने में इकट्ठी की गयी नकदी को नियमित बनाने का एक ढांचा मुहैया कराया गया।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

बड़े पैमाने पर कर चोरी का प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभुत्व। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 98 प्रतिशत लेनदेन नकद में होते हैं और लेनदेन के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत हिस्सा नकद में आता है। विमुद्रीकरण से डिजिटल लेनदेन को कई गुना तेजी मिली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यह साथ में पारदर्शिता भी लाती है। *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर बैठे देशों में 10 प्रतिशत से भी कम लेनदेन नकद में हुए हैं। इस रैंकिंग में भारत 79वें स्थान पर है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्लेटफॉर्म का सफल क्रियान्वयन किया है, जिससे भुगतान के विभिन्न तरीके एक-दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं। *भीम एप* (196 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है) और *आधार पे* क्रमशः एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच लेनदेन तथा सामान्य डिजिटल भुगतान में मदद करेंगे। दीर्घकालिक लाभ के अंकुर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में पहले ही दिखने लगे हैं। जो बताते हैं यूपीआई पर आधारित लेनदेन 20 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2017 में 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे और मझौले करदाताओं के नकदरहित लेनदेन के लिए आयकर की अनुमानित दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने प्वॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों एवं एटीएम को बीसीडी, उत्पाद शुल्क/काउंटरवेलिंग शुल्क तथा एसएडी से छूट दे दी है। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अगले कदम के रूप में वह 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन हेतु आधार सत्यापन को अनिवार्य बना सकती है।

जीएसटी से संबंधित चार विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही जीएसटी एक जुलाई की अपनी लक्षित समयसीमा के और भी करीब आ गया है। अत्याधुनिक जीएसटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप के कारण एवं कर चोरी की स्थिति में कठोर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान होने के कारण भारत मध्यम से दीर्घ अवधि में कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देख सकता है। इसके अलावा कारोबारी लेनदेन का सही खुलासा करने से प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्वतः ही तेजी आएगी।

वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी

स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े कर सुधारों में शामिल वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का लक्ष्य अप्रत्यक्ष कर की जटिल प्रणाली का सरलीकरण करना है। इससे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क के अतिरिक्त) समाप्त होने के बाद एकल भारतीय बाजार तैयार होगा, कर प्रशासन दुरुस्त होगा, कर अनुपालन बढ़ेगा, निवेश एवं वृद्धि में बढ़ोतरी होगी तथा अधिक राजस्व संग्रह होगा। जीएसटी से संबंधित चार विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही जीएसटी एक जुलाई की अपनी लक्षित समयसीमा के और भी करीब आ गया है। अत्याधुनिक जीएसटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप के कारण एवं कर चोरी की स्थिति में कठोर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान होने के कारण भारत मध्यम से दीर्घ अवधि में कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देख सकता है। इसके अलावा कारोबारी लेनदेन का सही खुलासा करने से प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्वतः ही तेजी आएगी।

चुनावी चंदे में सुधार

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने 2004-05 से 2014-15 के बीच 7,833 करोड़ रुपये का चंदा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किया, जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत था। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अज्ञात स्रोत कौन होंगे। औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों से राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा जब गोपनीय रहता है तो निहित स्वार्थों को बढ़ावा मिलता है। इससे राजनीति एवं व्यापार के बीच नापाक गठबंधन तैयार हो जाता है और राजनेता अहसान चुकाने के लिए विवश होकर कारोबारी लोकतंत्र तथा जनता की इच्छा को कुचल देते हैं। इसलिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आवश्यक है।

किसी एक स्रोत से राजनीतिक दलों को अधिकतम नकद चंदे की सीमा 2,000 रुपये तक सीमित कर इस दिशा में छोटी सी शुरुआत कर दी गयी है। चुनावी बॉण्ड की अवधारणा लाई गयी है, जिसमें कॉर्पोरेट चंदे को गुप्त रखा जाएगा। इससे चंदा देने वाले के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसका पता लगाया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार से बचाव

स्वतंत्रता के बाद से ही कल्याण की योजनाएं इस उद्देश्य के साथ बनायी गयी हैं कि विकास का फल गरीबों एवं जरूरतमंदों को मिले। किंतु वर्षों से इन योजनाओं में फैली भ्रष्टाचार की बीमारी से रिसाव हुआ और अयोग्य लोगों की जेबें भरती गयीं। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में पता चला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख योजना के अंतर्गत 40-50 प्रतिशत लाभ धांधली के कारण नष्ट

हो जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार को ताक पर रखकर इस लाभ के बराबर धनराशि सीधे योग्य गरीबों के खाते में डालने के लिए *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)* की अनूठी प्रणाली का प्रयोग किया है। गरीबों तथा वंचितों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए 2014 में बड़ा अभियान आरंभ किया गया और अब उसी पर डीबीटी का ढांचा खड़ा किया जा रहा है। जनधन (लगभग 25.7 करोड़ खाते खुल चुके), आधार (112 करोड़ से अधिक पंजीकरण) तथा मोबाइल की तिकड़ी से पारदर्शिता एवं समावेश की बुनियाद तैयार हुई है। अभी 17 मंत्रालयों की 84 योजनाएं डीबीटी के अंतर्गत आती हैं, जिनसे पिछले तीन वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पारदर्शिता का स्तर बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की सूची अपलोड की जा सकती है ताकि कोई भी उनका सत्यापन कर सके।

सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन कर नीलामी को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र जरिया बनाते हुए तथा सरकारी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु सरकारी ई-मार्केटप्लेस आरंभ करते हुए भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही समाप्त कर दी है। इन उपायों से भ्रष्टाचार के स्रोत पर हमला होता है और राष्ट्रनिर्माण की गतिविधियों के लिए संसाधनों में वृद्धि हो जाती है।

अधूरा काम

स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रमुख कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना होनी चाहिए। *स्वच्छ भारत* का निर्माण करने के सरकार के साहस एवं संकल्प की प्रशंसा करने के साथ ही सतत् एवं व्यवस्थित समाधान के लिए नीचे दिए गए उपायों की आवश्यकता है, जो व्यापक तो नहीं हैं, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं :

- प्रभावी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन के लिए कर कानूनों एवं प्रणालियों का सरलीकरण अपरिहार्य है। इसमें मनमानी तथा मुकदमेबाजी की कम से कम गुंजाइश बचनी चाहिए। 2016-17 के बजट भाषण से पता चला कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये के 3 लाख कर संबंधी मामले लंबित हैं।
- कानूनी व्यक्तियों का दुरुपयोग एक अन्य क्षेत्र है, जिसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सरल कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हुए पिछले कुछ समय में फर्जी (शेल) कंपनियों का जमावड़ा खड़ा हो गया है। एक ही पते पर सैकड़ों कंपनियां पंजीकृत हैं। उनकी पूंजी बहुत कम है, एक ही कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है और निदेशक ऐसे हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। समय बीतने के साथ इन शेल कंपनियों ने फर्जी बिल तैयार करने, फर्जी शेयर पूंजी, फर्जी ऋण मुहैया कराने की चाक-चौबंद व्यवस्था खड़ी कर ली है और उसके लिए वे कोई भी फर्जी वित्तीय लेन देन दिखाने की आदी हो चुकी हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता चल भी जाए तो प्रमाण के मौजूदा मापदंडों के तहत उन्हें फर्जी साबित करना बहुत मुश्किल है।
- 2013-14 से 2015-16 के बीच आयकर विभाग की जांच में 1155 से अधिक शेल कंपनियों/संस्थाओं का पता चला, जिनका इस्तेमाल 22,000 से अधिक लाभार्थी कर रहे थे और जिनके जरिए 13,300 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी लेनदेन किए गए थे लेकिन इन कंपनियों के खिलाफ अदालतों में डाली गयी याचिकाओं के मिश्रित परिणाम ही आये हैं। शेल कंपनी चलाने और फर्जी वित्तीय लेनदेन करने जैसे अपराधों को संगठित अपराधों की श्रेणी में डालने तथा उनसे निपटने के लिए दंडात्मक कानून बनाने की दिशा में सोचना ठीक रहेगा।
- कर अधिकारियों और करदाताओं का प्रत्यक्ष संपर्क कम किया जाए। कम से कम संपर्क के मानक बनाए जाने चाहिए और उच्च अधिकारियों को उन पर निगाह रखनी चाहिए। आयकर विभाग द्वारा आरंभ किया गया *ई-आकलन* सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) जिसका भारत भी सदस्य है, ने देशों से इस बात पर विचार करने की सिफारिश की है कि वित्तीय संस्थान राजनीतिक दखल रखने वाले व्यक्तियों (पीईपी) (प्रमुख सार्वजनिक कार्य से जुड़े व्यक्तियों) के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को चिह्नित करें एवं सुरक्षात्मक उपाय के रूप में जोखिम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करें।
- केंद्र एवं राज्य स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुगम समन्वय को बढ़ावा दें।

सतत प्रयास आवश्यक हैं

भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के सराहनीय परिणाम दिखने लगे हैं। यदि अभियान को इतने ही उत्साह एवं कल्पनाशीलता के साथ आगे भी चलाया जाता है तो ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार हो जाएगा, जिसमें गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी को अनगिनत लाभ मिलेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा और आवश्यक कौशलों का विकास होगा। इस प्रक्रिया में कुछ पीड़ा तो अवश्य होगी, लेकिन कायाकल्प में पीड़ा अपरिहार्य है। गलत तरीका अपनाने अथवा गलती करने के इक्का-दुक्का उदाहरणों के कारण हमें अपने सराहनीय लक्ष्य से बहकना नहीं चाहिए। बलिदान के बगैर कुछ प्राप्त नहीं होता और इस मामले में भी स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था की छोटी सी कीमत चुकानी होगी। ❑

शब्द संक्षेप

- एचडीआई: मानव विकास सूचकांक
- एसआईटी: स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम
- सीबीडीटी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- एफएटीसीए: फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट
- डीटीएए: डब्ल टैक्सेशन अवॉयडेशन एग्रीमेंट
- पीएन: पार्टिसिपेटरी नोट
- जीडीपी: सकल घरेलू उत्पाद
- पैन: स्थायी खाता संख्या
- डीबीटी: डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
- पीएमएलए: प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट
- बीसीडी: बेसिक कस्टम ड्यूटी
- एसएडी: स्पेशल एडिशनल ड्यूटी
- जीएसटी: वस्तु एवं सेवा कर